

22/18 सुप्रीम कोर्ट - राय

दिनांक

आज्ञा पत्र

14-2-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास चुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

406

सुप्रीम कोर्ट अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सिकर

